



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27032023-244704
CG-DL-E-27032023-244704

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1377]
No. 1377]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 27, 2023/चैत्र 6, 1945
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 27, 2023/CHAITRA 6, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2023

सं. 63/2015-2020

विषय: आरओडीटीईपी के लिए परिशिष्ट 4द में शीर्षक 5208 के तहत 18 एचएस कोडों को शामिल करने के संबंध में।

का.आ. 1430(अ).—विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 1.02 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्वारा आरओडीटीईपी समिति की सिफारिशों पर दिनांक 07.02.2023 की अधिसूचना सं. 55 द्वारा अधिसूचित परिशिष्ट 4द में निम्नलिखित को शामिल करती है:

आरओडीटीईपी प्रविष्टि सं.	पश्लक मद	वस्तुओं का विवरण (सीटीएच के अनुसार)	एफओबी के प्रतिशत के अनुसार आरओडीटीईपी की दर (#)	यूक्यूसी (#)	उच्चतम सीमा (प्रति यूक्यूसी रु.)
~ (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10464	52084921	हथकरघा	4.3%	मीटर ²	3.4
10465	52084929	अन्य	4.3%	मीटर ²	3.4

10466	52084990	अन्य	4.3%	मीटर ²	3.4
	520851	सादी बुनाई, वजन 100 ग्राम /मीटर ² से अधिक नहीं			
10467	52085110	लुंगी	4.3%	मीटर ²	3.4
10468	52085120	साड़ी	4.3%	मीटर ²	3.4
10469	52085130	शर्टिंग फैब्रिक	4.3%	मीटर ²	3.4
10470	52085140	केस्मन्ट	4.3%	मीटर ²	3.4
10471	52085150	कैम्ब्रिक्स (मदापोलम और जेकोनेट सहित)	4.3%	मीटर ²	3.4
10472	52085160	मूल (लिम्ब्रिक और विलया सहित)	4.3%	मीटर ²	3.4
10473	52085170	मूल (लिम्ब्रिक और विलया सहित)	4.3%	मीटर ²	3.4
10474	52085180	वॉइल्स (लीनो फैब्रिक को छोड़कर)	4.3%	मीटर ²	3.4
10475	52085190	अन्य	4.3%	मीटर ²	3.4
	520852	सादी बुनाई, 100 ग्राम /मीटर ² से अधिक वजन			
10476	52085210	लुंगी	4.3%	मीटर ²	3.4
10477	52085220	साड़ी	4.3%	मीटर ²	3.4
10478	52085230	शर्टिंग फैब्रिक	4.3%	मीटर ²	3.4
10479	52085240	केस्मन्ट	4.3%	मीटर ²	3.4
10480	52085250	कैम्ब्रिक्स (मदापोलम और जेकोनेट सहित)	4.3%	मीटर ²	3.4
10481	52085260	मूल (लिम्ब्रिक और विलया सहित)	4.3%	मीटर ²	3.4

2. तालिका में उपरोक्त दरें 28.03.2023 से किए गए निर्यात के लिए लागू होंगी

इस अधिसूचना का प्रभाव: 28.03.2023 से किए जाने वाले निर्यात के लिए आरओडीटीईपी के तहत परिशिष्ट 4द में एचएस कोड 5208 के तहत आने वाली 18 प्रशुल्क लाइनें जोड़ी जा रही हैं।

[फा. सं. 01/61/180/155/एएम-21/पीसी-3/पार्ट-2 से जारी]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 25th March, 2023

No: 63/2015-2020

Subject: Inclusion of 18 HS Codes under Heading 5208 in Appendix 4R for RoDTEP - reg

S.O. 1430(E).—In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 read with Para 1.02 of the Foreign Trade Policy 2015-20, the Central Government hereby, on the recommendation of the RoDTEP Committee, makes the following additions in Appendix 4R notified vide Notification no. 55 dated 07.02.2023:

RODTEP Entry No.	Tariff Item	Description of Goods (As per CTH)	RODTEP Rate as % age of FOB (#)	UQC (#)	Cap (Rs. Per UQC)
~ (1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10464	52084921	Of Handloom	4.3%	m ²	3.4
10465	52084929	Other	4.3%	m ²	3.4
10466	52084990	Other	4.3%	m ²	3.4
	520851	Plain weave, weighing not more than 100 g/m2			
10467	52085110	Lungi	4.3%	m ²	3.4
10468	52085120	Saari	4.3%	m ²	3.4
10469	52085130	Shirting Fabrics	4.3%	m ²	3.4
10470	52085140	Casement	4.3%	m ²	3.4
10471	52085150	Cambrics (including madapollam and jaconet)	4.3%	m ²	3.4
10472	52085160	Mull (including limbric and willaya)	4.3%	m ²	3.4
10473	52085170	Mull (including limbric and willaya)	4.3%	m ²	3.4
10474	52085180	Voils (excluding leno fabrics)	4.3%	m ²	3.4
10475	52085190	Others	4.3%	m ²	3.4
	520852	Plain weave, weighing morew than 100 g/m2			
10476	52085210	Lungi	4.3%	m ²	3.4
10477	52085220	Saari	4.3%	m ²	3.4
10478	52085230	Shirting Fabrics	4.3%	m ²	3.4
10479	52085240	Casement	4.3%	m ²	3.4
10480	52085250	Cambrics (including madapollam and jaconet)	4.3%	m ²	3.4
10481	52085260	Mull (including limbric and willaya)	4.3%	m ²	3.4

2. The above rates in the table will be applicable for exports made from 28.03.2023

Effect of this Notification: 18 tariff lines falling under HS Code 5208 are being added in Appendix 4R under RoDTEP for exports made from 28.03.2023.

[F. No. 01/61/180/155/AM21/PC-3/Part-2]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade, Ex-officio Addl. Secy.